

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री वरदा

विपक्षी :- श्री लालु

किस्म मुकदमा - 88 रा.का.अधि.

पत्रावली संख्या : 47/23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 25.04.2023</p> <p>पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 कैम्प वारणी में पेश हुई। अधिवक्ता वादी व राजपेरोकार उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 से 4 अनुपस्थित रहे हैं। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त, शा.फा. रहे। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर रिपोर्ट को ही बहस माना जाकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादी द्वारा राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता/दादा का नाम मेगा भील गलत अंकित होना बताया जिसे दुरुस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत वारणी द्वारा प्रमाण पत्र दिनांक 20.06.2022, आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में वादी के पिता का नाम कन्ना अंकित है। राजपेरोकार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता/दादा का नाम कन्ना होना बताकर नाम संशोधन में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता/दादा मेगा व कन्ना दोनो एक ही होना जाहिर होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता/दादा का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।</p> <p style="text-align: center;">-: आदेश :-</p> <p>परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा काडा पटवार हल्का वारणी की आराजी नम्बर 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 531/227 किता 8 रकबा 1.5783 हेक्टेयर भूमि में खातेदार गिरधारी, लालु, वरदा पुत्र मेगा भील के बजाय गिरधारी, लालु, वरदा पिता कन्ना उर्फ मेगा भील संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(श्रीकान्त व्यास) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	



मूल वाद में डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.
मुकदमा नम्बर : 47/23 (वाद) GCMS No. : 2023/118

उनवान

1. श्री वरदा उर्फ वरदीचन्द पिता स्व. कन्ना भील निवासी काडा तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री लालु पिता स्व. कन्ना भील निवासी काडा तह. मावली।
2. श्री हीरालाल पिता स्व. गिरधारी भील निवासी काडा तह. मावली।
3. श्री नाथु पिता स्व. गिरधारी भील निवासी काडा तह. मावली।
4. श्रीमती चांदीबाई पुत्री स्व. गिरधारी पत्नी जगदीश भील निवासी काडा तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का वारणी तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा काडा पटवार हल्का वारणी की आराजी नम्बर 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 531/227 कित्ता 8 रकबा 1.5783 हेक्टेयर भूमि में खातेदार गिरधारी, लालु, वरदा पुत्र मेगा भील के बजाय गिरधारी, लालु, वरदा पिता कन्ना उर्फ मेगा भील संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25.04.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली